प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इक्यासी'

[9/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 4806]

परिशिष्ठ पत्रक–1 / पृष्ठ–1 / 1

विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक–4806 अतारांकित

कोआर्डिनेटर नियुक्ति के नियम एवं शर्ते

1. सेवाए पूर्णतः संविदा आधार पर अस्थायी रूप से ली जा रही है। सेवा प्रदाता इन सेवाओं के आधार पर राज्य अथवा केन्द्र शासन एवं इनके अधीन अर्द्धशासकीय संस्थाओं के अधीन किसी प्रकार से अस्थाई / स्थाई / नियमित नियुक्तियों हेतु न तो पात्र होगा और न ही इस हेतु कोई दावा मान्य किया जायेगा।
2. सेवा प्रदाता इस अनुबंध की अवधि में अन्य कोई कार्य या व्यवसाय नहीं करेगा।
3. दोनों पक्ष इस अनुबंध को एक माह की पूर्व सूचना देकर अथवा एक माह हेतु प्रदाय की जाने वाली सेवा के एवज में दी जाने वाली एकमुश्त मासिक देय राशि दूसरे पक्ष को देकर समाप्त कर सकेंगे।
4. सेवा प्रदाता का कार्य संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में सेवा प्राप्त कर्ता को यह अधिकार होगा कि वह बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल अनुबंध समाप्त कर सकेगा एवं इसके विरूद्ध कोई दावा मान्य नहीं किया जा सकेगा।
5. उपरोक्त अनुबंध को सेवा प्रदाता के कार्यो के मूल्याकंन एवं दोनों पक्षो की आपसी सहमति के आधार पर एक वर्ष की अवधि हेतु बढाया जा सकेगा।
6. सेवा प्रदाता उपरोक्त अनुबंध की अवधि में लेखन एवं टंकण कार्य स्वयं बिना किसी लिपिकीय (टाईपिंग / स्टेनो) सहयोग के स्वतंत्र रूप से स्वयं के लेपटाप(Laptop) पर करेगा।
7. सेवा प्रदाता इस अनुबंध की अवधि में संचालक जल सहायता संगठन / सचिव जिला जल एवं स्वच्छता समिति (कार्यपालन यंत्री लो.स्वा.यां.वि अथवा उनके प्राधिकारी) के निर्देशानुसार समय समय पर (प्रतिमाह अधिकतम 15 कार्य दिवस) प्रदेश के जिलों का भ्रमण करेगा। जिसके लिये यात्रा भत्ता म.प्र. यात्रा भत्ता नियम के अनुसार ही "सी" श्रेणी कर्मचारी के समान यात्रा भत्ता देय होगा।
8. सेवा प्रदाता की लापरवाही एवं उदासीनता के कारण सेवा प्राप्त कर्ता को कोई हानि होती है तो उसके लिये सेवा प्रदाता वित्तीय एवं भौतिक रूप से जिम्मेदार होगा।
9. सेवा प्रदाता द्वारा इस अनुबंध की अवधि में विकसित लिखित एवं उत्पादित सामग्री एवं साहित्य पर सेवा प्राप्तकर्ता (राज्य जल मिशन म.प्र.) का अधिकार होगा।
10. सेवा प्रदाता का इस अनुबंध की अवधि में आचरण एवं कार्य निर्वहन उच्चतम व्यवसायिक स्तर एवं सामान्यतः राज्य शासन के अधिकारी / कर्मचारी से अपेक्षित स्तर के होंगे / कदाचरण एवं अनुशासनहिनता की स्थिति में सेवा प्रदाता को कारण बताओं सूचना जारी की जा सकेगी जिसका संतोषकारी जवाब नहीं दिये जाने की स्थिति में सेवा प्रदाता के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जावेगी अनुबंध समाप्ति तक की भी हो सकेगी।
11. सेवाप्रदाता इस अनुबंध की अवधि में नियमानुसार भारत सरकार / राज्य सरकार को देय आयकर / वृत्तिकरों के भुगतान करने के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा।
12. यदि कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना अथवा क्षति होती है तो इसके लिये सेवा प्रदाता पूर्णतः उत्तरदायी होगा। अतः इसके लिये आवश्यक बीमा, स्वयं का एवं अन्य (तृतीय पक्ष) का करवाने का उत्तरदायित्व सेवा प्रदायकर्ता का ही होगा।
13. सेवा प्रदाता इस अनुबंध की अवधि में नियमानुसार इस विभाग की गोपनीय जानकारी जो उसे कार्य निर्वहन के समय प्राप्त होगी को अन्य किसी व्यक्ति या संस्था को संचालक की पूर्व एवं लिखित अनुमति के बिना प्रकट नहीं करेगा।
14. इस अनुबंध के अन्तर्गत लिखित शर्तो में विवाद एवं असहमती की स्थिति में प्रमुख सचिव म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का निर्णय अंतिम एवं दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।
15. समाचार पत्रों में प्रकाशित संविदा आधार पर विकासखंड स्तरीय कोआर्डिनेटर (तकनिकी) की नियुक्ति हेतु विज्ञापन तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की वेबसाईट www.mpphed.gov.in पर प्रकाशित / अपलोडेड संविदा आधार पर विकासखड स्तरीय कोआर्डिनेटर (तकनिकी) की नियुक्ति हेतु वांछित अर्हताओं एवं अन्य शर्ते / जानकारी एवं नियुक्ति आदेश भी इस अनुबंध के भाग होकर लागू होंगे।

हस्ता / –	हस्ता / –	
कार्यपालन यंत्री, लो.स्वा.यां. खण्ड खण्डवा	अधीक्षण यंत्री, लो.स्वा.यां. मण्डल इन्दौर	मुख्य अभियंता

विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक–4806 अतारांकित

ग्राम घाटाखेडी में विभाग द्वारा नियुक्त कोआर्डिनेटर के कार्य एवं ग्रामीण जनता से किये गये सम्पर्क की जानकारी

कमांक	दिनांक	कोआर्डिनेटर द्वारा किये गये कार्य
1	2	3
1	22/05/2014	टेबलेट पी.सी. द्वारा हेण्डपंप की इन्ट्री की गई
2	06-05-2014	टेबलेट पी.सी. द्वारा हेण्डपंप की इन्ट्री की गई
3	08-12-2014	सरपंच, सचिव एव ग्रामीणों को नल कनेक्शन बढाने एवं पेयजल समिति बनाने की चर्चा हेतु सम्पर्क किया गया।
4	19/03/2015	पेयजल स्वच्छता हेतु जागरूकता रथ निकाला, एवं स्कूल रैली निकाली गई
5	04-03-2015	घाटाखेडी में पेयजल परीक्षण किया गया एफ.टी.के. किट द्वारा।
6	18/05/2015	नल कनेक्शन बढाने हेतु ग्रामीणों को प्रेरित किया।
7	22/5/2015	पेयजल समिति बनाने के लिये ग्रामीणों से सम्पर्क किया
8	17/07/2015	नल जल योजना में नल कनेक्शन की जानकारी ली, एवं समिति बनाने हेतु चर्चा की।
9	25/7/2015	ग्राम में पेयजल शुद्धता हेतु एफ.टी.के.कीट प्रदान की, एवं क्लीनवेट बाटल प्रदान कर समझाया गया।
10	08-05-2015	पेयजल समिति बनाने की सरपंच, सचिव से चर्चा की गई
11	15/8/2015	नल जल योजना संचालन हेतु पेयजल समिति बनाई गई,
12	24/08/2015	हितग्राही वार नल कनेक्शन की सूची बनाई गई,
13	09-02-2015	विभागीय उपयंत्री के साथ पम्प हाउस एवं पाईप लाईन का निरीक्षण किया गया।
14	09-11-2015	24 x7 योजना बनाने के लिये समिति एवं सरपंच सचिव से सम्पर्क किया।
15	10-05-2015	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यकम के अंतर्गत ग्राम स्तरीय एफ.टी.के.कीट के द्वारा प्रशिक्षण एवं स्वच्छता के लिये जागरूक किया गया
16	30/10/2015	24 x7 योजना बनाने के लिये समिति एवं सरपंच सचिव से सम्पर्क कर एवं पाईप लाईन विस्तार की चर्चा की गई।
17	30/11/2015	समिति को बैंक खाता खोलने की जानकारी दी।
18	12-01-2015	जिला समन्वयक एच.आर.डी. के साथ ग्रामीणों एवं पेयजल समिति को 24 x7 योजना बनाने के लिए प्रेरित किया।
19	16/12/2015	जन चौपाल कार्यक्रम में उपस्थिति दी गई
20	29/01/2016	हेण्डपंप कोड में आई.वी.आर. एस. प्रणाली की इन्ट्री की गई, प्रत्येक हेण्डपंप के आस–पास के निवासरत तीन व्यक्तियों के नाम व मोबाईल नम्बर लिये गये।

हस्ता / –
कार्यपालन यंत्री,
लो.स्वा.यां. खण्ड खण्डवा

हस्ता / –
अधीक्षण यंत्री,
लो.स्वा.यां. मण्डल इन्दौर

मुख्य अभियंता

सहायक यंत्री
(विधान सभा प्रकोष्ठ)
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
लो. स्वा. यां. वि., भोपाल